"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 मई 2010—ज्येष्ठ 10, शक 1932

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-61/20-एक/2009.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 नवम्बर 2009 द्वारा जारी अधिसूचना जिसमें छ. ग. स्कूल शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2009 बनाया गया है उक्त अधिसूचना पर एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

क्र.	उल्लेखित पैरा/अनुसूची जिसमें संशोधन करना है	वह अंश/विवरण जो भर्ती नियम में उल्लेखित है	उल्लेखित अंश/विवरण में संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूची-एक के स. क्र. 10 का कॉलम 2.	सहा. संचालक अधीक्षक	सहायक संचालक शब्द के आगे जो "अधीक्षक" शब्द उल्लेखित है, उसको हटाते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :— (अधीक्षक संवर्ग)
2.	-----	------	अनुसूची एक के सबसे नीचे निम्न नोट स्थापित की जाती है :— **नोट :**— सहायक संचालक (सामान्य) वह पद है जिसे प्राचार्य संवर्ग से भरा जाना है.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूची-दो के कालम क्रमांक 4, 5, 6 के ऊपर उल्लेखित वाक्य.	भरे जाने वाले कार्य पदों का प्रतिशत	भरे जाने वाले शब्दों के आगे उल्लेखित "कार्य" शब्द को विलोपित किया जाता है.
4.	अनुसूचीं-2 के स. क्र. 6 का कॉलम 7.	"वर्तमान में प्राचार्य/समकक्ष पद को उप संचालक के रूप में पदोन्नति दी जाएगी किंतु पात्र सहायक संचालक/वि.ख.शि. अधिकारी उपलब्ध होंगे तो वर्तमान प्रचलित नियम स्वमेव समाप्त हो जाएगा. अर्थात् सहा. संचालक/वि.ख.शि.अधि. जो 5 वर्ष अपने पद का अनुभव प्राप्त कर लेंगे उप संचालक के पद के लिए पात्र होंगे. उस समय अन्य सहा.संचालक योजना, क्रीडा अधीक्षण में 10 वर्ष के अनुभव पश्चात् पदोन्नति हेतु पात्र होंगे.	उल्लेखित समस्त टीप को विलोपित कर निम्न टीप प्रतिस्थापित की जाती है :— "उप संचालक लोक शिक्षण के पद विकास खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक (सामान्य), सहायक संचालक सांख्यिकीय योजना, सहायक संचालक संचालक (क्रीड़ा)/प्राचार्य (शारीरिक शिक्षा), सहायक संचालक (अधीक्षक संवर्ग), सहायक संचालक (विधि प्रकोष्ठ) एवं लेखा अधिकारी से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा. परंतु सहायक संचालक (सामान्य)/विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद से पदोन्नति के लिए न्यूनतम अनुभव 3 वर्ष निर्धारित है, उक्त पद से उप संचालक के पद पर पदोन्नति के लिए 3 वर्ष बाद ही पात्र अधिकारियों के उपलब्ध होने की संभावना है अत: पदोन्नति के लिए पात्रता रखने वाले सहायक संचालक (सामान्य)/विकास-खंड शिक्षा अधिकारी उपलब्ध होते तक न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव प्राप्त एवं वेतनमान 8000-13500 प्राप्त करने वाले प्राचार्य समस्त प्रकार के सहायक संचालक एवं लेखा अधिकारी पदोन्नति हेतु पात्र होंगे जैसे ही 3 वर्ष अनुभव प्राप्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी/सहायक संचालक सामान्य उपलब्ध होंगे यह व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जाएगा और नियमों में उल्लेखित प्रावधान अनुसार पदोन्नति होने लगेगी.
5.	अनुसूची-2 के स. क्र. 7 के कालम 7	"(1) 10 वर्ष अनुभव वाले सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी से 10 प्रतिशत पदों में पदोन्नत होंगे. (2) 90 प्रतिशत पद 5 वर्ष अनुभव वाले प्राचार्य से तथा 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत उपरोक्त व्यवस्था तब होगी जब सहा. विकासखंड शिक्षा अधिकारी 10 वर्षों का अनुभव पूर्ण कर लेंगे तब क्रमांक 2 अनुसार ही व्यवस्था रहेगी एवं 10 प्रतिशत पद भी प्राचार्य से ही भरे जाएंगे. वर्तमान में प्राचार्य सहा. संचालक	उल्लेखित पूरी टीप का विलोपित कर उसके स्थान पर निम्न टीप प्रतिस्थापित की जाती है :— 10 प्रतिशत पद निर्धारित अनुभव वाले सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा एवं शेष 90 प्रतिशत पद वेतनमान 8000-13500 में कार्यरत निर्धारित अनुभव रखने वाले प्राचार्यों से उनके सेवा अभिलेख के आधार पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा

(1)	(2)	(3)	(4)
		विकासखंड शिक्षा अधिकारी समकक्ष है. सहायक विकासखंड शिक्षा की अनुपलब्धता में प्राचार्य ही सहायक संचालक/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ होंगे. स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य के पद डाईंग कैडर हो गए हैं. ग्रामीण विकास एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास के अनुसार प्राचार्य का पद समाप्त हो जाएगा प्राचार्य सीमित परीक्षा द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ होंगे."	मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में गठित विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा स्क्रीनिंग पश्चात् तैयार की गई चयन सूची के अधिकारियों की पदस्थापना द्वारा भरा जाएगा. परन्तु सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर से पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव प्राप्त अधिकारी उपलब्ध होते तक 10 प्रतिशत पद भी प्राचार्य के पद से भरे जा सकेंगे. परंतु यह और भी कि 10 वर्ष के अंनुभवी सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी उपलब्ध होने पर 10 प्रतिशत पद प्राचार्य के पद से भरे जाने हेतु पूर्ववर्ती परन्तुक में उल्लेखित व्यवस्था स्वमेव ही समाप्त हो जाएगी.
6.	अनुसूची-2 के स. क्र. 2-13 के कालम-7.	"वित्त विकास से प्रतिनियुक्ति द्वारा."	"वित्त" शब्द के आगे एवं से शब्द के पहले उल्लेखित विकास शब्द के स्थान पर विभाग शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है.
7.	अनुसूची-2 के स. क्र. 17 के कालम 7.	"100 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे."	उल्लेखित टीप विलोपित की जाती है.
8.	अनुसूची-3 के स. क्र. 3 के कालम 5	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक अथवा किसी कम्प्यूटर संस्था से कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में दो वर्ष अनुभव की समकक्ष पात्रता. या- "गणित/ भौतिकी / सांख्यिकी विषय में स्नातक उपाधि अथवा पीजीडीसीए और किसी सम्बद्ध कम्प्यूटर संस्था से एक वर्ष का अनुभव."	उल्लेखित टीप को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्न प्रति-स्थापित किया जाता है :— "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक अथवा गणित/भौतिकी/ सांख्यिकी विषय में स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर संस्था/ शासकीय संस्था में प्रोग्रामिंग करने का 01 वर्ष का अनुभव."
9.	अनुसूची-3 के स.क्र. 4 के कालम 5.	"पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या निम्नलिखित पद में 5 वर्ष का अनुभव."	"या" शब्द के आगे एवं "पद" शब्द के पूर्व उल्लेखित "निम्नलिखित" शब्द में से "निम्न" शब्द को यथावत रखते हुए. "लिखित" शब्द विलोपित किया जाता है.
10.	अनुसूची-4 के स. क. 2, 3, एवं 4 के कालम 4	"3 वर्ष" "3 वर्ष" "3 वर्ष" "8 वर्ष"	उल्लेखित कालमों में जहां-जहां 5 वर्ष उल्लेखित है वहां-वहां 5 वर्ष को विलोपित कर 3 वर्ष प्रतिस्थापित किया जाता है एवं जहां 10 वर्ष उल्लेखित है वहां 10 वर्ष को विलोपित कर 8 वर्ष प्रतिस्थापित किया जाता है.

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	अनुसूची-4 के स. क्र. 4 का कॉलम 2.	"सहायक संचालक (सामान्य)/विकासखंड शिक्षा अधिकारी" "सहायक संचालक खेल योजना/अधीक्षण/लेखाधिकारी"	सहायक संचालक (सामान्य)/विकास-खंड शिक्षा अधिकारी के स. क्र.-4 को 4 (अ) पढ़ा जावे. इसी तरह स. क्र.-4 सहायक संचालक खेल/योजना/अधीक्षण लेखा अधिकारी के स. क्र. 4 को 4 (ब) पढ़ा जावे.
12.	अनुसूची-4 के स. क्र. 5 के कालम 4 में.	पांच वर्ष	पांच वर्ष के स्थान पर दो वर्ष किया जाता है.
13.	अनुसूची-4 के स. क्र. 4 का कॉलम 6.	कुछ सहायक संचालक (सामान्य)/विकास-खंड शिक्षा अधिकारी से उप संचालक पद पर पदोन्नति 5 वर्ष पश्चात् होगी. वर्तमान में संचालक (सामान्य)/विकासखंड शिक्षा अधिकारी के उपलब्ध नहीं होंगे इसलिए संचालक (सामान्य)/विकासखंड शिक्षा अधिकारी पद में पांच वर्ष अनुभव वाले प्राचार्य उपलब्ध होने तक 5 वर्ष अनुभवी प्राचार्य उप संचालक पद में पदोन्नत होंगे. योग्य संचालक (सामान्य)/विकासखंड शिक्षा अधिकारी उपलब्ध होने पर यह व्यवस्था स्वयमेव समाप्त हो जायेगी.	कालम 2 में उल्लेखित "सहायक संचालक (सामान्य)/विकासखंड शिक्षा अधिकारी" शब्दों के आगे वाले कॉलम 6 में उल्लेखित टीप विलोपित की जाती है.
14.	अनुसूची-4 के सं. क्र. 4 का कॉलम 6.	"प्राचार्य के रूप में 5 वर्ष अनुभव पश्चात् विकासखंड शिक्षा अधिकारी/सहायक संचालक बनेंगे. 10 वर्ष अनुभव वाला प्राचार्य ही उप संचालक बनेगा. इसलिए सहायक संचालक 10 वर्ष पश्चात् उप संचालक होंगे. सहायक संचालक/शारीरिक शिक्षा/योजना/अधीक्षण संवर्ग एवं लेखा अधिकारी पदोन्नति उपरांत संचालनालय लोक शिक्षण में कार्यरत रहेंगे."	कॉलम-2 में उल्लेखित सहायक संचालक खेल/योजना/अधीक्षण/लेखा-धिकारी शब्दों के आगे वाले कॉलम 6 में उल्लेखित टीप विलोपित की जाती है.
15.	अनुसूची-4 के स. क्र. 13 के कालम 2.	"सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर/डाटा एंट्री आपरेटर"	कालम-2 में उल्लेखित शब्द सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर को विलोपित किया जाता है.
16.	अनुसूची-4 के स. क्र. 13 के कालम 4.	"5 वर्ष" (सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर) डाटा एंट्री आपरेटर उच्च वेतनमान के लिए 5 वर्ष का अनुभव तथा निम्न वेतनमान के लिए 7 वर्ष का अनुभव पदोन्नति की पात्रता होगी.	पूरे शब्दों को विलोपित करते हुए निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है :— "डाटा एंट्री आपरेटर उच्च वेतनमान को 7 वर्ष एवं डाटा एंट्री आपरेटर निम्न वेतनमान वाले को 10 वर्ष के अनुभव होने के बाद पदोन्नति की पात्रता होगी."

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	अनुसूची-4 के स. क्र. 1 के कालम 6.	[illegible] वर्ष के अनुभव के पश्चात् पदोन्नति दी जाएगी."	उल्लेखित पूरे शब्दों को विलोपित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2010

क्रमांक एफ 1-61/20-एफ/2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-61/20-एफ/2009 दिनांक 29-05-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 29th May 2010

NOTIFICATION

No. F 1-61/2009/20-One.— In exercise of powers, Chhattisgarh State Government has made following amendments in the departmental Notification dated 13 November 2009 regarding Chhattisgarh School Education Gazeited Services Rules, 2009 :—

S. No. (1)	Existing Para/Schedule No. in which amendments are to be made (2)	Particular Part/Statement Existing in the Recruitment Rules (3)	Amendment made in the Existing part of the Rules (4)
1.	In column 2 in serial No. 10 of Schedule No. 1.	Assistant Director Superintendent	School Education Department is established in front of Assistant Director Superintendent-Superintendent Cadre.
2.	-	-	Introduced following note in below Schedule No. 1- Assistant Director (General) posts shall be filled in by Principal category persons.
3.	In column 4, 5, 6 of Schedule No. 2.	Percentage of the working post to be filled.	The word "working" is deleted.
4.	In serial No. 6 of column 7 of Schedule No. 2.	By departmental promotion at present principal/equivalent post will be promoted as Deputy Director but in liability of able	Following is Re-Established in place of the Note — The post of Deputy Director Public Instruction shall be filled

(1)	(2)	(3)	(4)
		Assistant Director/Block Education Officer the present rule will abolished. It means who is 5 year experience as Assistant Director/Block Education Officer will able for the post of Deputy Director at the time other Assistant Director Planning, Sports, Superintendent having10 years experience will able to promote.	in by promotion from Assistant Director (General)/Assistant Director (Statics)/Planning/ Assistant Director (Sports)/ Principal (Physical Education)/ Assistant Director (Superintendent Cadre)/Assistant Director (Law Section)/and Account Officer. But for the promotion to Deputy Director post minimum 3 years experience of Assistant Director (General)/Block Education Officer post. is required. Hence till eligible Assistant Director (General)/ Block Education Officer are available, Principal and other officers in 8000-13500 pay scale with minimum 3 years of experience shall be eligible for promotion. As soon as Assistant Director (General)/Block Education Officer with 3 year experience are available the above said arrangement shall automatically cease.
5.	In column 7 of serial No. 7 of Schedule No. 2.	By Departmental Promotion. (1) Having 10 years experience 10% of post will promoted from Assistant Block Education Officer. (2) Having 5 years experience 90% of post to from Principal 90% and 10% above situation. When Assistant Block Education Officer complete their 10 years experience till then the managment will to according to as No. 02 and 10% post will be filled by the Principal. At present Principal, Assistant Director, Block Education Officer are equal. In non availability of Assistant Block Education Officer. The principal will be posted as Assistant Director/ Block Education Officer. Now dying cadre as Principal in School Education Department that the post of Principal will be end. According to at and	The existing parts/particulars shall be deleted and the following parts/particulars shall be established— 10% of the posts shall be filled with the experienced Asstt. Block Education Officers with prescribed experience and rest 90% posts shall be filled with principals according to their service record by the Chairman of P.S.C. But till the experienced Asstt. Block Education Officers are available the 10%posts shall also be filled with principals. Again if Asstt. Block Education Officers with 10 years experience are available then this temporary arrangement shall cease.

(1)	(2)	(3)	(4)
		Rural Development and Urban Administrative and Development Principal will be posted as Block Education Officer by limited examination.	
6.	In column 7 of serial No. 13 of Schedule No. 2.	By Deputation from finance development.	After the word "Finance" and before the word "Development" the word "Department" is introduced.
	In column 7 of serial No. 17 of Schedule No. 2.	100% posts will be filled by Direct recruitment.	The whole sentence stands deleted.
8.	In column 5 of serial No. 3 of Schedule No. 3.	Graduation in Computer Science/ Information Technology subjects from any recognized University or equivalent eligibility 2 years experiences in computer programmings from any computer center **or** Graduate degree in Maths/Physics Statistics subject or PGDCA having 1 year experience from any affiliated computer center.	By deleting the existing parts stated the following shall be re-established— Graduation in Computer Science/Information Technology from a recognized University or Graduation in Maths/Physics Statistics having 1 year experience from a recognized institution of computer programming from a Govt. Institute or PGDCA with 1 year experience from an Institution or Govt. Institution of computer programming. From the phrase "stated under".
9.	In column 5 in serial No. 4 of Schedule No. 3.	Post Graduate degree in Library Science or having 05 years experience in following post.	After the word "or" before the word "post" the word "under" shall remain as it is and the word "stated" shall be deleted.
10.	In column 4 in serial No. 2, 3 and 4 of Schedule No. 4.	05 Years 05 Years 05 Years 08 Years	In the mentioned column wherever 05 years is written, shall be replaced by 03 years and wherever 10 years is stated those will be replaced by 08 years.
	In column 2 in serial No. 4 of Schedule No. 4.	Assistant Director (General)/ Block Education Officer. Assistant Director (Sports/Planning/ Superintendent/Account Officer.	Serial No. 4 of Assistant Director (General)/Block Education Officer be read as 4 (a) and similarly serial No. 4 of Assistant Director (Sports/Planning/ Superintendent/Account Officer be read as 4 (b).
	In column 4 in serial No. 5 of Schedule No. 4.	5 Years	5 years mentioned in column 4 is replaced by 02 years.
	In column 6 in serial No. 5 of Schedule No. 4.	Some Assistant Dirctor (General)/ Block Education Officer to Deputy Director will be promotted after 5 yrars at present	The note before the word Assistant Director (General)/Block Education Officer in column 6 is deleted.

(1)	(2)	(3)	(4)
		Assistant Director (General)/ Block Education Officer to not having 5 years experience so principal having 5 years experience will be promotted as Deputy Director till availabling of Director (General Block Education Officer) availability of avail Director (General)/Block Education Officer further management will be abolished.	
14.	In column 6 in serial No. 5 of Schedule No. 4.	After 5 years experience as principal can be Block Education Officer/Assistant Director. Principal having 10 years experience will be Deputy Director so their Assistant Director will be as Deputy Director/Physical Education/Planning/Superintending class and Accounts Officer will work in directorated public instruction.	The note before the word Assistant Director (Sports/Planning), Superintendent/Account Officer in Column 6 is deleted.
15.	In column 2 in serial No. 13 of Schedule No. 4.	Assistant Computer Programmer/ Data Entry Operator.	The word Assistant Computer Programmer stands deleted from column 2.
16.	In column 4 in serial No. 13 of Schedule No. 4.	5 Years. (Assistant Computer Programmer) Eligibility of promotion for Data Entry Operator high pay scale will be having 5 years experience and for low pay scale will be having 7 years experience.	By deleting the complete statements, the following is re-established that Data Entry Operator with higher scale shall require 07 years of experience and the same posts with lower scale shall requires 10 years experience for the promotion.
17.	In column 6 in serial No. 13 of Schedule No. 4.	Promotion will be given after having 3 years experience.	The whole statements stands deleted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-61/09/20-एक.—विभागीय समसंख्यक दिनांक 13 नवम्बर 2009 द्वारा जारी अधिसूचना छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2009 बनाया गया है, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

क्र.	उल्लेखित पैरा/अनुसूची जिसमें संशोधन करना है	वह अंश विवरण जो भर्ती नियम में उल्लेखित है	उल्लेखित अंश/विवरण में संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूची-1	अनुसूची एक के कालम 5 के आगे	अनुसूची एक के कॉलम 6 बनाते हुए

(1)	(2)	(3)	(4)
		कालम 6 का बनाया जाना.	कालम 2 में उल्लेखित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी क्रमशः निम्नानुसार प्रति-स्थापित किया जाता है— 1. आई. ए. एस. से प्रतिनियुक्ति पर 2. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग 3. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग 4. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग 5. वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति पर 6. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग 7. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग 8. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग 9. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग 10. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग 11. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग 12. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग 13. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग 14. संचालक लोक शिक्षण छ. ग. 15. संचालक लोक शिक्षण छ. ग. 16. संचालक लोक शिक्षण छ. ग. 17. संचालक लोक शिक्षण छ. ग. 18. संचालक लोक शिक्षण छ. ग. 19. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग 20. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग 21. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग 22. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग
2.	अनुसूची-दो में	अनुसूची दो में टीप शब्द स्थापित किया जाना है.	अनुसूची दो के नीचे निम्नानुसार टीप स्थापित किया जाता है— **टीप** 1- सहायक संचालक (सामान्य)/ विकासखंड शिक्षा अधिकारी के विभाग पद समकक्ष पद है. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न कार्यालयों के वे सभी पद जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करेगी, इन पदों के समकक्ष मान्य किए जाएंगे. ऐसे पदों पर शासन द्वारा सहायक संचालक (सामान्य)/ विकासखंड शिक्षा अधिकारी के समान ही सबसे वरिष्ठ प्राचार्य पदस्थ किए जाएंगे और इस प्रक्रिया अनुसार पदांकन पश्चात् इन पदों का अनुभव उप संचालक पद में पदोन्नति हेतु नियमानुसार मान्य होगा.
3.	अनुसूची-तीन के कालम (6) में	कालम (6) में उल्लेखित "टिप्पणियां" शब्द को विलोपित करते हुए नियुक्ति समिति प्रतिस्थापित करते हुए समिति का गठन.	सरल क्र. 1, 2, 3 एवं 4 के कॉलम (6) में नियमानुसार समिति स्थापित की जाती है :— 1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या

(1)	(2)	(3)	(4)
			उसके द्वारा नामांकित सदस्य-अध्यक्ष. 2. संचालक लोक शिक्षण-सदस्य 3. उप-सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य सचिव. 4. उप संचालक, स्थापना-सदस्य
4.	अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 12 के कॉलम क्र. (6) में.	सरल क्रमांक 12 के कॉलम क्र. (6) में पदोन्नति हेतु योग्यता प्रतिस्थापित किया जाना है.	टीप — व्याख्याता शारीरिक शिक्षा/सहायक जिला क्रीड़ा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यता स्नातक एवं बी.पी.एड. प्रतिस्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2010

क्रमांक एफ 1-61/20-एक/2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-61/20-एक/2009 दिनांक 29-05-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 29th May 2010

NOTIFICATION

No. F 1-61/09/20-One. The following amendments are being made in the notification of Chhattisgarh School Education Gazetted Service Recruitment Rules, 2009 No.-1/61/09/20-one departmental Notification dated November 2009.

S. No. (1)	Mentioned Para/Schedule to be amended (2)	The Part/Particulars mentioned in the recruitment rule (3)	Amendment made in the Existing part/Particulars of the rules (4)
1.	Schedule-1	Column (6) to be made after column (5) in Schedule 1.	The following officers shall be the appointing authority in column (6) for the posts mentioned in column (2) of schedule 1. 1. In Deputation from I.A.S. 2. Government of Chhattisgarh, School Education Department.

(1)	(2)	(3)	(4)
			3. Government of Chhattisgarh, School Education Department.
			4. Government of Chhattisgarh, School Education Department.
			5. In Deputation from Finances Department.
			6. Government of Chhattisgarh, School Education Department.
			7. Government of Chhattisgarh, School Education Department.
			8. Government of Chhattisgarh, School Education Department.
			9. Government of Chhattisgarh, School Education Department.
			10. Government of Chhattisgarh, School Education Department.
			11. Government of Chhattisgarh, School Education Department.
			12. Government of Chhattisgarh, School Education Department.
			13. Government of Chhattisgarh, School Education Department.
			14. Director of Public Instruction Chhattisgarh.
			15. Director of Public Instruction Chhattisgarh.
			16. Director of Public Instruction Chhattisgarh.
			17. Director of Public Instruction Chhattisgarh.
			18. Director of Public Instruction Chhattisgarh.
			19. Government of Chhattisgarh, School Education Department.
			20. Government of Chhattisgarh, School Education Department.
			21. Government of Chhattisgarh, School Education Department.
			22. Government of Chhattisgarh, School Education Department.
2.	In Schedule-2	The word "NOTE" to be mentioned in Schedule.	The following NOTE to be mentioned below/under Schedule 2. **Note 1-** The Post of Asstt. Directors and Block Education Officers are Posts of same grade. These posts of School Education Deptt. Which the state shall notify from time to time be considered as the posts of same grade for different officers of School Education Deptt. The Govt. shall posts the senior most Principals in these posts just as the Asstt. Directors and Beo. are Posted. After posting their experience in the post held shall be taken into account for their promotion as Deputy Directors.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	In column 6 of Schedule-3.	By ommitting the word "Comments" from schedule (6) and rementioning "Recruitment committee and its constitutions.	In column 6 of serial No. 1, 2, 3 and 4 the following Committee is mentioned. 1. President of. P.S.C. or its nominated member president. 2. Director of Public instruction member. 3. Deputy Secretary/Add. Secretary of School Education, member Secretary. 4. Deputy Director establishment member.
4.	In column 6 of serial No.12 of Schedule-4.	Qualification for promotion will be rementioned in column (6) of serial No. 12.	**Note-12** for the Promotion in the posts of lecturer Physical Education/Asstt. Distt. Sports Officers the Qualification of graduation and B.P.Ed. shall be required is restated.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.